(Form 'M')

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 12, 1990

संख्या : प.2 (6)वन/89-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार का अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जायेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिये नियुक्त करती है [illegible] जांच व अभिलेखन, जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14 17, 18 और 19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी स्थान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का [illegible] किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशु पालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना [illegible] किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
(एन. एन. हनखा)
उप-शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	लालसागर	जोधपुर	जोधपुर	उत्तर:-सड़क जोधपुर से बेरुपुरा को पूर्व:-सीमा ग्राम पूंजला दक्षिण:-सीमा ग्राम मदासिया। पश्चिम:-रेल्वे लाईन गाईका ग्राम से मन्डोर व पहाड़गंज कॉलोनी	ग्राम जोधपुर ख. नं. औद्योगिक भूमि 1893 390.16 बी. मु. [illegible] ग्राम पूंजला 3 नं. 130.10 ,, 4 नं. 2.10 ,, 5 नं. 84.00 ,, 4.607.06 बीघा एकड़ 442.82 हैक्टर 95.26

Scanned by CamScanner

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6
	हेरकुण्ड	जोधपुर	जोधपुर	उत्तर:–ग्राम मण्डोर की हाकमूमि पूर्व:–सीमा ग्राम जोधपुर दक्षिण:– पश्चिम:–सीमा ग्राम बागा	ग्राम मण्डोर (see below)
3.	व्यास बावड़ी	,,	,,	उत्तर:–पाली रोड व जोधपुर विश्वविद्यालय पूर्व:–सीमा ग्राम बासनी दक्षिण:–सीमा ग्राम कुड़ी भगतासनी पश्चिम:–ग्राम जोधपुर का रकबा	ग्राम जोधपुर (see below)
4.	व्यास बावड़ी	,,	,,	उत्तर:–एयर फोर्स पूर्व:–पुरानी पाली रोड दक्षिण:–सीमाग्राम ढण्ड व झालामण्ड पश्चिम:–सीमा ग्राम ढण्ड	ग्राम जोधपुर (see below)
5.	व्यास बाईई	,,	,,	उत्तर:–ग्राम जोधपुर का ख. नं. 728 पूर्व:–पाली रोड दक्षिण:–सीमा ग्राम कुड़ी पश्चिम:–भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन	ग्राम जोधपुर (see below)

ग्राम मण्डोर

ख. नं.	क्षेत्रफल	किस्म भूमि
1435 मी.	75.00	गै. मु. जाबर
1464 मी.	83.00	,,
1469 मी.	348.12	,,
1183 मी.	2213.12	,,
4	2720.04	बीघा

ग्राम मावपुर

ख. नं.	क्षेत्रफल	किस्म भूमि
1 मी.	418.09	गै. मु. जाबर
1	418.09	बीघा

ग्राम बागा

ख. नं.	क्षेत्रफल	किस्म भूमि
859 मी.	2.09	खान
869 मी.	13.00	बी iv
930 मी.	5.08	नाडी
931 मी.	21.17	,,
932 मी.	2.05	छतरी
934 मी.	264.00	गै. मु. जाबर
6	308.[illegible]	बीघा

कुल बीघा 3447.12
एकड़ 1378.84
हैक्टर 558 01

ग्राम जोधपुर (3. व्यास बावड़ी)

ख. नं.	क्षेत्रफल	किस्म भूमि
685 मी.	250.00	जोड
1	250.00	बीघा

एकड़ 100.00
हैक्टर 40.46

ग्राम जोधपुर (4. व्यास बावड़ी)

ख. नं.	क्षेत्रफल	किस्म भूमि
679	24.12	बारानी ii
1	24.12	बीघा

एकड़ 9.64
हैक्टर 3.90

ग्राम जोधपुर (5. व्यास बाईई)

ख. नं.	क्षेत्रफल	किस्म भूमि
729	465.06	बारानी
1	465.06	बीघा

एकड़ 186.02
हैक्टर 75 23

उप वन संरक्षक जोधपुर

Scanned by CamScanner